संख्या- 103/2018/2603/चौबीस-पी-1-2018-2795/2017 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमान्चल/मध्यान्चल /पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ/लखनऊ/वाराणसी/
आगरा एवं केस्को, कानपुर।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2018

विषय :उत्तर प्रदेश में 'सौभाग्य' योजना के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने तथा प्रचार-प्रसार करने की कार्ययोजना ।

महोदय,

प्रदेश के प्रत्येक परिवार को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सौभाग्य' योजना का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश के समस्त अवशेष घरों को माह दिसम्बर, 2018 के अन्त तक विद्युत संयोजन दिए जाने के लिए 'सौभाग्य' योजना का क्रियान्वयन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसकी समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मा0 ऊर्जा मंत्री जी उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। निर्धारित समय सीमा में योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक तभी किया जा सकेगा जबकि योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि लक्षित परिवार योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों और उनको यह भी स्पष्ट संदेश जाए कि योजनान्तर्गत विद्युत संयोजन गॉवों में ही कैम्प लगाकर गरीब परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य ग्रामीण परिवारों को विद्युत संयोजन निःशुल्क तथा 50 रूपए की 10 आसान किश्तें उनके बिल में सम्मिलित कर 500 रूपए का मात्र शुल्क लिया जाता है।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में 'सौभाग्य' योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना के उद्देश्य तथा विभिन्न प्रस्तावित गतिविधियॉ निम्नलिखित हैं :-

(1) **उद्देश्य :-**

(i) जनसामान्य को सौभाग्य योजना के बारे में जागरूक करने एवं विद्युत संयोजन लेने के लिए प्रेरित करने हेतु इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में पर्याप्त एवं समुचित जानकारी प्रदान की जायेगी।

(i i) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों द्वारा जनपद स्तर पर सभी इच्छुक परिवारों को संयोजन देने के बाद संतृप्तीकरण की घोषणा वाले सौभाग्यशाली जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें, जिनमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त अविद्युतीकृत इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन प्रदान कर विद्युतीकृत कर दिये जाने की जानकारी दी जायेगी। साथ ही अवशेष अविद्युतीकृत घरों को सौभाग्य योजना के लाभों के बारे में समुचित जानकारी देते हुए विद्युत संयोजन लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

(2) योजना के क्रियान्वयन की अवधि में जागरूकता अभियान :-

(i) राज्य के पंचायतीराज विभाग की सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 अक्टूबर, 2018 से जी0पी0डी0पी0 कार्यक्रम के दौरान कम से कम 100 सौभाग्य प्रचार पुस्तिकाएं वितरित की जायेगी तथा सौभाग्य योजना से सम्बन्धित जानकारी और होने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा।

(i i) वितरण निगम अपने मीटरिंग/संयोजन गैंगों के द्वारा सौभाग्य योजना से सम्बन्धित पर्चे वितरित करने की व्यवस्था करेंगें।

(i i i) योजना के अन्तर्गत कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरणों यथा परिवर्तक, खम्भे, केबल एवं मीटरों पर सौभाग्य योजना से सम्बन्धित प्रतीक चिन्ह को स्टीकर/मुद्रण द्वारा अंकित किया जायेगा।

(iv) योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये 10 से 15 सेकण्ड के दूरदर्षन विडियो विज्ञापन एवं 2 से 3 मिनट की डाक्यूमेन्टरी तैयार कर प्रकाशित किये जायेगें।

उपरोक्त डाक्युमेन्टरी एवं विज्ञापनों को स्थानीय ग्रामीण सिनेमाघरों में भी प्रसारित किया जा सकता है।

(v) स्थानीय भाषा में रेडियो पर विज्ञापन किया जायेगा। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर वॉल पेन्टिंग/पोस्टर लगाकर सौभाग्य योजना का प्रचार किया जायेगा।

(3) जनपद/तहसील में योजना के अन्तर्गत संतृप्तीकरण के उपरान्त कराये जाने वाले कार्यक्रमः-

(i) योजना के अन्तर्गत सभी संतृप्त ग्रामों में निर्धारित डिजाइन एवं आकार की होर्डिंग स्थापित किये जायेंगें, जिनमे ग्राम संतृप्ति की घोषणा एवं योजना से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित की जायेगी। प्रदेश में कुल 67000 सौभाग्य होर्डिंग स्थापित किये जायेगें।

(i i) जनपद के संतृप्त होने के दस दिन बाद तक प्रत्येक जनपद में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के दो एल0ई0डी0 स्क्रीन युक्त वाहन सौभाग्य योजना से सम्बन्धित विज्ञापन एवं चलचित्रों का प्रसारण करते हुये संचालित किये जायेगें। इन वाहनों को सार्वजनिक स्थलों यथा विकास भवन, तहसील, क्षेत्रीय मंडी, स्थानीय आबादी एवं तहसील दिवस, थाना दिवस आदि में संचालित किया जायेगा।

(i i i) संतृप्तीकरण के दस दिन बाद तक जनपद के प्रत्येक तहसील में एक सौभाग्य रथ संचालित किया जायेगा। सौभाग्य रथ में सौभाग्य बैनर युक्त चार पहिया वाहनों का प्रयोग होगा। सौभाग्य रथ का उद्देश्य योजनान्तर्गत किए गए कार्यो का प्रचार करने के साथ-साथ किन्हीं कारणों से पूर्व में संयोजन न लेने वाले परिवारों को प्रेरित कर विद्युत संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराना रखा गया है।

(iv) जनपद/तहसील स्तर पर समारोह का आयोजनः-

(a) संतृप्तीकरण कार्यक्रम में मा0 प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, मा0 विधायकों को आमंत्रित किया जायेगा।

(b) इस कार्यक्रम के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनसामान्य को सूचित एवं आमंत्रित किया जायेगा। वितरण निगमों के प्रतिनिधि स्वागत भाषण एवं सौभाग्य योजना के परिचय के साथ संतृप्तीकरण कार्यक्रम का प्रारम्भ करेगें। मुख्य अतिथि द्वारा जनपद स्तर पर निर्धारित सौभाग्य साइन बोर्ड के उद्घाटन से साथ जनपद को संतृप्त घोषित किया जायेगा। तदुपरान्त मुख्य अतिथि द्वारा उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित किया जायेगा।

(c) उपरोक्त कार्यक्रम हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय का चयन किया जायेगा एवं आयोजन समिति गठित की जायेगी। वितरण निगम प्रति जनपद एक या दो केन्द्रीकृत संतृप्तीकरण कार्यक्रम कुल रू0 1,00,000 के बजट तक तैयार कर सकेगें।

(d) सौभाग्य योजना के लाभों के विषय में जनसामान्य को जागरूक करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से जनपद के संतृप्तीकरण कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व से विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में निबन्ध लेखन, भाषण, नुक्कड़ नाटक और सौभाग्य योजना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रतियोगिता, समूह गान, लोकगीत एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इन कार्यक्रमों में आयोजनकर्ताओं द्वारा आंशिक संशोधन/समायोजन किया जा सकेगा। इन कार्यक्रमों के विजेता प्रतिभागियों को जनपद स्तर पर होने वाले संतृप्तीकरण के समारोहों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत किया जायेगा।

(e) कार्यक्रम में लाभार्थी ग्रामीणों द्वारा सौभाग्य योजना के बारे में अनुभव साझा किये जायेंगें।

(f) प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं/लाभार्थियों की शंकाओं/ समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

(g) प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो वितरण निगमों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये संतृप्तीकरण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगें।

(v) जनपद के संतृप्तीकरण की घोषणा/ संतृप्तीकरण कार्यक्रमों की जानकारी से सम्बन्धित विज्ञापनों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन।

3- सौभाग्य योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन और उसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में सौभाग्य योजना के पर्याप्त प्रचार-प्रसार के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रचार सामग्री तथ वित्तीय संसाधन सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है तो प्रमुख सचिव, ऊर्जा तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संज्ञान में लाकर उसका निराकरण प्राथमिकता पर करा लिया जाए।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

<u>संख्या- **103/2018/2603()/चौबिस-पी-1-2018,** तद्दिनांकित</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री जी/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।